



सुरक्षित दिनांक 05.01.2026

प्रदत्त दिनांक 05.02.2026

एएफआर

Neutral Citation

No. - 2026:AHC-

LKO:8949-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जेल अपील संख्या - 62 वर्ष 2024

कुमारी जानकी(नाम परिवर्तित)अपीलकर्ता गण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊप्रतिवादी गण

अपीलकर्ता गण की ओर से अधिवक्ता : अदनान अहमद, अमरेश कुमार, दिनेश कुमार

प्रतिवादी गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार के होल्डिंग ब्रीफ अधिवक्ता श्री अरविंद सरोज और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह की ओर से दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह अपील माननीय विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 44, बाराबंकी द्वारा आपराधिक मुकदमे संख्या 51/2018 (राज्य बनाम कुमारी जानकी) में दिनांक 01.08.2023 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो मामला अपराध संख्या 0118/2017 से संबंधित है और धारा 302 और 120बी आईपीसी के अंतर्गत है। इस फैसले में निचली अदालत ने अभियुक्त अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और 10 वर्ष कारावास और ₹5,000/- का जुर्माना तथा धारा 120बी आईपीसी के तहत 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

तथ्यात्मक विवरण

3. इस मामले से जुड़ी घटना यह है कि शिकायतकर्ता की बेटी चमेली की शादी लगभग 20 साल पहले उदय राज से हुई थी। हालाँकि, उदय राज की कुमारी जानकी (नाम बदला हुआ) नाम की एक प्रेमिका थी। आरोप है कि उदय राज, अपनी प्रेमिका कुमारी जानकी (नाम बदला हुआ) और रामेश्वर व बहादुर जैसे अन्य लोगों के साथ मिलकर, मृतक के ससुर भवानी प्रसाद पर डंडूपुर में स्थित ज़मीन बेचने का दबाव डाल रहा था। मृतक महिला ने इस लेन-देन का विरोध किया था। इसके बाद, 4 अप्रैल 2017 को दोपहर लगभग 2:00 बजे, आरोपियों ने कथित तौर पर महिला को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे आग लगा दी, जिससे बुरी तरह जलने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में, शिकायतकर्ता छोटका (मृतक महिला की माँ) ने हैदरगढ़ पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दिया। इसके आधार पर, उदय राज, कुमारी जानकी (नाम बदला हुआ), भवानी प्रसाद, बहादुर और रामेश्वर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक मजिस्ट्रेट ने उसका बयान (मरणासन्न बयान) दर्ज किया। पीड़िता की मौत के बाद, एक जाँच रिपोर्ट तैयार की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच अधिकारी ने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया, घटना वाली जगह का मुआयना किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद, जांच अधिकारी ने जांच पूरी की और आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत चार्जशीट दाखिल की। अपील करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाली महिला ने दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग थी। इसके बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने उसके शैक्षणिक दस्तावेज़ के आधार पर उसकी उम्र तय की और पाया कि उसकी जन्म तिथि 24 अक्टूबर, 1999 होने के कारण, अपराध के समय वह 17 साल, 5 महीने और 10 दिन की थी। इसलिए, उसे नाबालिग घोषित कर दिया गया।

4. ऊपर बताई गई बातों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम, 2015 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि घटना के समय अपील करने वाले की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। चूंकि आरोप आईपीसी की धारा 302 के तहत एक गंभीर अपराध के लिए लगाए गए थे, इसलिए यह मामला 'अधिनियम' की धारा 2(33) के तहत गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 15 के तहत एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि अपीलकर्ता में कथित अपराध की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। इस आकलन के आधार पर और अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, मामले को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया। इसके बाद बाल न्यायालय ने दूसरे सह-आरोपियों के साथ मिलकर इस मामले की सुनवाई की। आरोप तय होने पर, अपीलकर्ता और सह-आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित सबूत पेश किए।

(I) **मौखिक साक्ष्य (अभियोजन पक्ष के गवाह)** - अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत आरोप साबित करने के लिए निम्नलिखित सात गवाहों से पूछताछ की:

“अभियोजन पक्ष के गवाह 1: श्रीमती छोटका - शिकायतकर्ता और मृतक (चमेला) की माँ।

अभियोजन पक्ष के गवाह 2: श्याम नारायण - मृतक का भाई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन पक्ष के गवाह 3: पतिराम - पहले विवेचना अधिकारी (आईओ) और उपनिरीक्षक।

अभियोजन पक्ष के गवाह 4: प्रभात कुमार - दूसरे विवेचना अधिकारी।

अभियोजन पक्ष के गवाह 5: डॉ. कुलदीप मौर्य - मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया।

अभियोजन पक्ष के गवाह 6: सुशील प्रताप सिंह - तहसीलदार (उस समय नायब तहसीलदार) जिन्होंने मरने से पहले दिया गया बयान (मृत्यु-पूर्व बयान) दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष के गवाह 7: डॉ. वी.सी. पांडे - सीनियर सर्जन जिन्होंने मृतक के बयान देने की स्थिति में होने की पुष्टि की।”

(II) दस्तावेज़ी सबूत (अभियोजन पक्ष के सबूत) - अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज़ पेश किए गए और सबूत के तौर पर चिह्नित किए गए:

“प्रदर्श का-1: शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत (तहरीर)।

प्रदर्श का-2: पंचायतनामा (जांच आख्या)।”

प्रदर्श का-3: घटना स्थल का साइट प्लान (नक्शा नज़री)।

प्रदर्श का-4: चिक प्रथम सूचना आख्या (एफआईआर)।

प्रदर्श का-5: केस दर्ज करने से जुड़ी जी. डी. एंट्री (कायमी जी. डी.)।

प्रदर्श का-6: चालान लाश (मृत शरीर का चालान)।

प्रदर्श का-7: फोटो लाश (मृतक की तस्वीरें)।

प्रदर्श का-8: आर आई का पत्र (रिज़र्व इंस्पेक्टर)।

प्रदर्श का-9: मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पत्र (चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर)।

प्रदर्श का-10: नमूना मुहर (स्पेसिमेन सील)।

प्रदर्श का-11: आरोपी के खिलाफ़ दायर चार्ज शीट।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदर्श का-12: पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

प्रदर्श का-13: मृतक चमेला का मृत्यु-पूर्व बयान (मृत्यु-कालीन बयान)।

5. **अभियोजन पक्ष के गवाह- 5:** डॉ. कुलदीप मौर्य ने मृतक चमेला का पोस्टमार्टम किया।
उनकी गवाही इस प्रकार दर्ज की गई है:

"05.04.2017 को उनकी पोस्टिंग नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाज़ीपुर, दरियाबाद, बाराबंकी में थी। उस दिन उन्हें पोस्टमार्टम की ड्यूटी सौंपी गई थी। वे बाराबंकी के पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे, जहाँ उन्हें कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन के कॉन्स्टेबल महेंद्र यादव के ज़रिए पुलिस कागज़ात के साथ एक सीलबंद शव मिला; कॉन्स्टेबल ने ही मृतक की पहचान की। यह शव 38 वर्षीय चमेला का था, जो डूँडपुर (पुलिस स्टेशन हैदरगढ़) की रहने वाली थीं और उदयरज निषाद की पत्नी थीं। अभिलेख के अनुसार, अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी।

बाहरी जांच: शरीर मध्यम गठन का था, लंबाई 148 सेमी थी, और पहचान के निशान नोट किए गए। शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। दोनों हाथों में चूड़ियां थीं। बाएं हाथ में एक वेगो (IV कैनुला) लगा हुआ था। रिगर मोर्टिस (मृत्यु के बाद शरीर का अकड़ना) नहीं था। सिर के बाल जले हुए थे, और केरोसिन की गंध आ रही थी। भौंहें, चेहरा और सिर के बाल जले हुए पाए गए।

मौत से पहले लगी चोटें: चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, दोनों हाथ और शरीर के निचले हिस्से 90% तक जल गए थे। गहरे जलने के निशान थे और जली हुई जगहों पर 'लाल रंग की रेखा' देखी गई। जले हुए हिस्सों पर छाले पड़ गए थे। दोनों आँखों में धुएँ की कालिख जमा थी। उनकी राय में, मरने वाले व्यक्ति को जीवित अवस्था में ही जलाया गया था। पैरों के तलवे नहीं जले थे।

आंतरिक जांच: शरीर को खोलने पर, सांस की नली (ट्रेकिया) के अंदर धुएँ से बनी काफी कालिख पाई गई। पेट में 250 मिलीलीटर आधा पचा हुआ भोजन था और आंतों में गैस मौजूद थी।

निष्कर्ष: उनकी राय में, मृतक की मौत मरने से पहले जलने के कारण लगी चोटों की वजह से हुई। उन्होंने अपनी लिखावट और हस्ताक्षर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जो "प्रदर्श का-12" है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पी.डब्ल्यू.-7: डॉ. वी.सी. पाण्डेय (वरिष्ठ शल्य चिकित्सक) ने मृतका को उसके मृत्युपूर्व कथन के अभिलेखन हेतु चिकित्सकीय रूप से सक्षम एवं स्वस्थ अवस्था में होना प्रमाणित किया। इस संबंध में उनका साक्ष्य निम्नलिखित है:

"दिनांक 04.04.2017 को वह जिला चिकित्सालय, बाराबंकी में वरिष्ठ शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत थे। उक्त दिन तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री सुशील प्रताप सिंह अस्पताल आए तथा उन्होंने घायल चमेला, पत्नी उदयरज, का कथन अभिलिखित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात्, वह उनके साथ घायल चमेला के पास गए और उससे वार्ता की। उस समय वह पूर्णतः सचेत एवं होश-हवास की स्थिति में थी।"

जांच एवं परीक्षण के उपरांत उन्होंने पाया कि रोगी कथन देने में सक्षम थी। तत्पश्चात् उन्होंने नायब तहसीलदार को सूचित किया कि पीड़िता कथन देने के लिए उपयुक्त एवं सक्षम है। उन्होंने उस प्रपत्र पर, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा कथन अभिलिखित किया जाना था, अपनी संस्तुति/प्रमाणन अंकित किया। नायब तहसीलदार ने उनकी उपस्थिति में प्रश्न पूछकर उक्त कथन अभिलिखित किया।

पीड़िता द्वारा अपना कथन दिए जाने के उपरांत, उन्होंने पुनः उससे पूछताछ की तथा उसकी स्थिति का अवलोकन किया। उस समय भी वह पूर्णतः सचेत अवस्था में थी। उन्होंने उसकी स्थिति के संबंध में यह टिप्पणी भी अंकित की कि कथन देते समय रोगी पूर्ण चेतना की अवस्था में थी। रोगी कथन देने में सक्षम थी तथा संपूर्ण कथन की समाप्ति तक पूर्णतः सचेत अवस्था में रही और उसे समय एवं स्थान का पूर्ण ज्ञान था।

उक्त कथन के प्रारंभ तथा अंत में उनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं। उक्त कथन अभिलेख पर प्रदर्श क-13 के रूप में संलग्न है, जिसका उन्होंने पुनः सत्यापन/पुनः प्रमाणीकरण किया।

7. तत्पश्चात्, अभियोजन साक्ष्य के समापन के उपरांत, अभियुक्त-अपीलकर्ता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। अपने कथन में उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों एवं आरोपित परिस्थितियों का खंडन किया। उसने आगे यह भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा कि वर्तमान प्रकरण से पूर्व सह-अभियुक्त भवानी प्रसाद द्वारा परिवादी छोटका के पति हंसा राम तथा उसके भतीजे उदयरज के विरुद्ध अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में एक अभियोग दर्ज कराया गया था। उक्त पूर्ववर्ती शत्रुता के कारण परिवादी द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा मृतका को मृत्यु से पूर्व उसके विरुद्ध कथन देने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया गया। प्रतिरक्षा साक्ष्य के चरण में न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से अपीलकर्ता, कुमारी जानकी (परिवर्तित नाम), को दोषसिद्ध किया। उक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क/निवेदन:

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय यांत्रिक एवं सरसरी ढंग से पारित किया है तथा प्रकरण के तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का विधि के अनुरूप समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत हैं तथा न्यायालय इस तथ्य पर समुचित विचार करने में विफल रहा कि कथित घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी; अतः उसके विरुद्ध वयस्क के रूप में विचारण संचालित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय किशोर न्याय अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के प्रावधानों की सही व्याख्या करने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त, साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं तथा तथ्य के साक्षी प्रतिकूल हो गए थे। इन परिस्थितियों तथा स्वतंत्र साक्षियों के अभाव के बावजूद, विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया और केवल हितबद्ध साक्षियों की गवाही पर भरोसा किया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि चिकित्सीय प्रतिवेदन के अनुसार मृतका को 90 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई थीं। अतः वह न तो शारीरिक रूप से और न

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही मानसिक रूप से कथन देने की स्थिति में थी। इस तथ्य के बावजूद उसका मृत्युपूर्व कथन अभिलिखित किया गया। इसलिए, इस प्रकार के कथित रूप से मनगढ़ंत एवं अविश्वसनीय मृत्युपूर्व कथन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उच्च कोटि के नहीं हैं, फलस्वरूप अभियोजन अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः आक्षेपित निर्णय एवं आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं तथा अपीलकर्ता दोषमुक्त किए जाने की अधिकारिणी है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क:

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी, तथापि उसका विचारण किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् रूप से विचारण न्यायालय द्वारा संपन्न किया गया। चूँकि उसकी आयु 16 से 18 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई थी तथा न्यायालय ने यह पाया था कि उसमें अपराध की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने की परिपक्व मानसिक क्षमता विद्यमान थी, अतः इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष विधि के अनुरूप एवं न्यायसंगत हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतका को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी मानसिक स्थिति का विधिवत् परीक्षण किया गया। तत्पश्चात्, उपचाररत चिकित्सक द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया। अतः अपीलकर्ता का यह तर्क कि मृतका चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कथन देने की स्थिति में नहीं थी, स्वीकार्य एवं टिकाऊ नहीं है।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इन अभियोजन साक्ष्यों पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समग्रता में विचार किया गया है और उसने विधिसम्मत रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः सिद्ध हो गए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं। चूँकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित करते समय कोई विधिक त्रुटि अथवा विकृति नहीं की गई है, अतः यह अपील गुण-दोष से रहित है और निरस्त किए जाने योग्य है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन एवं परीक्षण किया है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने कथित घटना के समय स्वयं को किशोर होने का दावा किया था। फलस्वरूप, उसकी आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे. बोर्ड) द्वारा किया गया। इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने अपीलकर्ता के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराध की तिथि पर उसकी आयु 17 वर्ष, 5 माह एवं 10 दिन थी। बोर्ड ने अधिनियम की धारा 2(33) के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध 'जघन्य अपराध की श्रेणी' में आता है।

14. यह भी अभिलक्षित होता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में होने के कारण, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन में यह पाया गया कि अपीलकर्ता में अपराध की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने की पर्याप्त मानसिक एवं शारीरिक क्षमता विद्यमान थी। घटना के समय उसकी परिपक्वता एवं बौद्धिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, किशोर न्याय बोर्ड ने अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार उसके प्रकरण को वयस्क के रूप में विचारण हेतु बाल न्यायालय को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अतः अपीलकर्ता द्वारा यह उठाया गया तर्क कि किशोर होने के कारण उसका विचारण केवल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता था, स्वीकार्य नहीं है।

15. जहाँ तक अभियोजन पक्ष के साक्षियों की मौखिक गवाही का प्रश्न है, मृतका की माता छोटका का परीक्षण पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में किया गया। अपने कथन में उन्होंने साक्ष्य दिया कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उनकी पुत्री चमेला का विवाह उदयरज के साथ हुआ था। तथापि, उदयरज का कुमारी जानकी (परिवर्तित नाम) के साथ संबंध था। फलस्वरूप, अपीलकर्ता तथा अन्य सह-अभियुक्तगण द्वारा ससुर भवानी प्रसाद पर विवादित संपत्ति का निस्तारण करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। जब मृतका ने इसका विरोध किया, तब कथित रूप से अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्तों ने उसे आग लगाकर जला दिया। यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण मुख्य परीक्षण के लगभग अठारह माह पश्चात् संपन्न हुआ। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी प्रतिकूल हो गई और उसने यह कहा कि वास्तव में यह घटना मृतका द्वारा भोजन बनाते समय की गई लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

16. अन्य तथ्य साक्षियों में पी.डब्ल्यू.-2 श्याम नारायण, जो मृतका के भाई हैं, का परीक्षण किया गया। उन्होंने अपने कथन में कहा कि मृतका उनकी सगी बहन थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मृतका को भोजन बनाते समय स्टोव से जलने के कारण चोटें आई थीं। तथापि, बाद में उक्त साक्षी भी प्रतिकूल हो गया। उपर्युक्त आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य का समुचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी साक्षी की गवाही आंशिक रूप से अविश्वसनीय अथवा त्रुटिपूर्ण हो जाती है, तो मात्र उसी आधार पर संपूर्ण अभियोजन प्रकरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि अन्यथा आरोप सिद्ध होते हों। भारत में 'एक बात में असत्य, तो सब बातों में असत्य' (एक बात में असत्य, तो सब बातों में असत्य) का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः, यद्यपि साक्ष्य का एक बड़ा भाग अविश्वसनीय या त्रुटिपूर्ण पाया जाए, तथापि यदि शेष साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हों, तो साक्षियों की संपूर्ण गवाही को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

17. वर्तमान प्रकरण में मृतका का मृत्युपूर्व कथन मजिस्ट्रेट सुशील सिंह द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिनका परीक्षण पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में किया गया। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर उन्होंने चिकित्सालय में मृतका का कथन अभिलिखित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कथन अभिलेखन की प्रक्रिया के दौरान मृतका पूर्णतः सचेत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवस्था में थी, जिसकी पुष्टि चिकित्सक द्वारा भी की गई थी। उक्त साक्षी ने इस कथन को प्रदर्श क-13 के रूप में सिद्ध किया। अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा कि कथन अभिलिखित किए जाने के समय चिकित्सक उपस्थित थे तथा रोगी पूर्ण होश-हवास में थी। फलस्वरूप, प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिससे उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर आंच आती हो।

18. विद्वान विचारण न्यायालय ने मृत्युपूर्व कथन के संबंध में अनेक न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि मृत्युपूर्व कथन सत्यता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से विश्वास उत्पन्न करता है, तो केवल उसी के आधार पर, बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण के भी, दोषसिद्धि की जा सकती है। यह सिद्धांत उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव (1985) 1 एससीसी 553 के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया था। तथापि, अन्य निर्णयों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मृत्युपूर्व कथन का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह किसी प्रकार के प्रलोभन, प्रेरणा, शिक्षण अथवा कल्पना का परिणाम नहीं है।

19. मृतका को हमलावर की पहचान करने एवं उसे देखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था तथा वह मृत्युपूर्व कथन देने के लिए उपयुक्त अवस्था में थी। सामान्यतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतका मृत्युपूर्व कथन देने के समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी या नहीं, न्यायालय चिकित्सकीय अभिमत का अवलोकन करता है। साधारणतः, मृत्युपूर्व कथन को प्रश्नोत्तर शैली में अभिलिखित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि कोई मृत्युपूर्व कथन विस्तृत न होकर केवल दो वाक्यों में, कथनकर्ता के वास्तविक शब्दों में अभिलिखित हो, तो मात्र इस आधार पर कि वह प्रश्नोत्तर शैली में अभिलिखित नहीं है, उसकी ग्राह्यता अथवा विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. उपरोक्त के आलोक में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषकर मृतका के मृत्युपूर्व कथन के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं, जिन्हें यथावत् नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"बयान - मृत्यु पूर्व

मैं चमेला पत्नी उदयरज उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम दादूपुर , थाना - हैदरगढ़ , जिला बाराबंकी पूरे होशो हवाश में सशपथपूर्व बयान करती हूँ कि आज दिनांक 04-04-2017 को सांय 4:00 बजे मेरे ससुर भवानी, मेरी सौत जनका व सौत की भतीजी आरती ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। आज दोपहर में मेरे पति उदयरज घर पर नहीं थे, तब मेरे ससुर ने मुझे गाली देना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं अपनी ननद के घर जा रही हूँ तो मेरे ससुर ने कहा कि गेट में ताला बन्द कर इसे जला दो। मेरे ससुर ने गेट में ताला बन्द कर दिया और मेरी सौत की भतीजी ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और मेरी सौत ने आग लगा दी। उस समय मेरे पति घर से बाहर कहीं गए हुए थे। आग लगाने का कारण ससुर द्वारा गाली देने के दौरान ननद के घर चली जाने की बात कहने पर की गयी। इस घटना में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं थी। मेरी शादी के 19 वर्ष हो गये हैं। मेरी एक दो साल की पुत्री है।

बयान सुनकर तस्दीक किया। "

21. अतः उपर्युक्त कथन के आलोक में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) में निहित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करना समीचीन होगा। धारा 32 का वह प्रासंगिक अंश, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों से संबंधित है जिन्हें साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता (मृत्युपूर्व कथन), निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

"धारा 32. वे परिस्थितियाँ जिनमें मृत अथवा अनुपलब्ध व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य के संबंध में दिया गया कथन प्रासंगिक होता है।— किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो मृत हो चुका है, अथवा जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, अथवा जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, अथवा जिसकी उपस्थिति ऐसे विलम्ब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसे प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय अनुचित मानता हो, प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में किए गए लिखित अथवा मौखिक कथन, निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वयं प्रासंगिक तथ्य माने जाएंगे:—"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(1) जब कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो।- जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में, अथवा उस व्यवहार (लेन-देन) की किसी ऐसी परिस्थिति के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, कोई कथन करता है, और ऐसे मामलों में जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण विचाराधीन हो, तब ऐसा कथन प्रासंगिक होता है। ऐसे कथन इस बात की परवाह किए बिना प्रासंगिक होंगे कि उन्हें करने वाला व्यक्ति, कथन किए जाने के समय, मृत्यु की आशंका के अधीन था या नहीं; तथा यह भी अप्रासंगिक होगा कि वह कार्यवाही, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण विचाराधीन है, किसी भी प्रकार की क्यों न हो।"

22. मृतका के मृत्युपूर्व कथन के रूप में अभिलिखित उसके बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसने स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से कहा है कि अपीलकर्ता की सौत (सह-पत्नी) की भतीजी ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला तथा उसे आग लगा दी। चिकित्साधिकारी ने भी यह प्रमाणित किया है कि कथन अभिलिखित किए जाने के दौरान मृतका की मानसिक स्थिति उपयुक्त थी तथा वह संपूर्ण अवधि में सचेत अवस्था में रही। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता द्वारा यह कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतका को उसके माता-पिता द्वारा कथन देने हेतु प्रेरित अथवा प्रशिक्षित किया गया था। मुख्य परीक्षण के दौरान परिवादी ने अभियोजन पक्ष के कथन का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान परिवादी प्रतिकूल हो गई, तथापि उसकी गवाही का मूल तत्व यही बना रहा कि मृतका को आग लगाई गई थी। जहाँ तक अपराधकर्ताओं की पहचान का प्रश्न है, मृतका के स्वयं के कथन से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया।

23. उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृत्युपूर्व कथन से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता, कुमारी जानकी (परिवर्तित नाम), की घटना में प्रत्यक्ष भूमिका थी। तथापि, यह न्यायालय इस निर्विवाद तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता कि अपराध किए जाने के समय अपीलकर्ता किशोर थी। यद्यपि मृत्युपूर्व कथन, भारतीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि हेतु अपेक्षित मानकों को पूरा करता है, तथापि दण्ड की मात्रा का निर्धारण पूर्णतः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 18(1)(जी) यह उपबंधित करती है कि विधि से संघर्षरत बालक को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजा जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता दिनांक 07 अप्रैल, 2017 से निरंतर अभिरक्षा में है, जो कुल मिलाकर सात वर्ष से अधिक की अवधि होती है। कारावास की यह अवधि विधि द्वारा अनुमत अधिकतम तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि से कहीं अधिक है। परिणामस्वरूप, भले ही मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि को यथावत् रखा जाए, तथापि अपीलकर्ता को और अधिक अवधि तक निरुद्ध रखा जाना विधिसंगत नहीं है तथा किशोर न्याय अधिनियम के विधायी उद्देश्य के प्रतिकूल है।

24. फलस्वरूप, यह पूर्णतः स्थापित हो जाता है कि उक्त घटना न तो दुर्घटनावश हुई थी और न ही आत्महत्या का परिणाम थी, बल्कि वह एक मानव वध (हत्यात्मक) घटना थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सफलतापूर्वक सिद्ध करते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों का समग्रता में गहन परीक्षण किया तथा इस सही निष्कर्ष पर पहुँचा कि उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि अपीलकर्ता ने अपराध के कारित किए जाने में सक्रिय रूप से सहभागिता की थी।

25. जहाँ तक दण्ड की मात्रा के संबंध में उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, हमारा मत है कि यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जहाँ कोई किशोर, जो विधि के अधीन आता है, 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में हो तथा उसके विरुद्ध किसी जघन्य अपराध के लिए बाल न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो, वहाँ दण्ड का निर्धारण अधिनियम की सुधारात्मक भावना के साथ संतुलित होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दस वर्ष के कारावास का दण्डादेश प्रदान किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ता, कुमारी जानकी (परिवर्तित नाम), दिनांक 07 अप्रैल, 2017 से निरुद्ध है। दिनांक 07 अप्रैल, 2024 तक वह सात वर्ष से अधिक अवधि का कारावास भोग चुकी है। उसकी यह निरंतर निरुद्धावस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 21 तथा धारा 18(1)(g) के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त प्रावधान निम्नवत् हैं:-

"धारा 21 : विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध पारित न किए जा सकने वाले आदेश- इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा भारतीय दण्ड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन किसी भी अपराध के लिए विधि से संघर्षरत किसी बालक को मृत्युदण्ड अथवा ऐसी आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, जिसमें रिहाई की कोई संभावना न हो।"

"धारा 18(1)(जी): बालक को ऐसे विशेष गृह में, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, भेजे जाने का निर्देश देना, जिसे प्राधिकरण उपयुक्त समझे, ताकि विशेष गृह में निवास की अवधि के दौरान उसे सुधारात्मक सेवाएँ प्रदान की जा सकें, जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा तथा मनोचिकित्सीय सहायता सम्मिलित हैं।"

27. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी किशोर को निरुद्ध रखे जाने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही सात वर्ष से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रह चुकी है, उसकी निरंतर निरुद्धावस्था न केवल किशोर न्याय अधिनियम के वैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करती है, बल्कि उसके मौलिक अधिकारों का भी अतिक्रमण करती है। फलस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित दण्ड, जहाँ तक वह अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम सीमा से अधिक है, विधि की दृष्टि में अस्थिर एवं अवैध है।

28. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है। तथापि, जहाँ तक दण्ड का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि घटना की तिथि पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता 'विधि से संघर्षरत बालक' थी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 21 में निहित अधिरोहक प्रावधान यह उपबंधित करता है कि किसी भी बालक को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड नहीं दिया जाएगा। यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को 10 वर्ष के कारावास तथा ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, तथापि अधिनियम की वैधानिक व्यवस्था, विशेषकर धारा 18, विशेष गृह में रखे जाने की अवधि को अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित करती है।

29. वर्तमान प्रकरण में अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता दिनांक 07 अप्रैल, 2017 से निरुद्ध है तथा वह लगभग सात वर्ष दो माह की कारावास अवधि व्यतीत कर चुकी है। यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभिलिखित दोषसिद्धि को यथावत् बनाए रखा जाता है, तथापि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधिदेश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कमलेंद्र सिंह @ पप्पू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) 12 एस सी सी 239** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दण्ड में संशोधन किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता अधिनियम के अंतर्गत विहित अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से कहीं अधिक अवधि तक कारावास भोग चुकी है, अतः उसके द्वारा पूर्व में भोगी गई कारावास अवधि को ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त माना जाता है।

30. यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 21 को अधिनियमित करते समय विधायिका का उद्देश्य, अपने विधायी विवेक का प्रयोग करते हुए, उन व्यक्तियों को विशेष संरक्षण एवं लाभ प्रदान करना था जिन्हें घटना की तिथि पर बालक घोषित किया गया हो। यह लाभ विशेष रूप से निर्णय के दण्ड संबंधी भाग पर लागू होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड न दिया जाए; जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/120-बी के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के संबंध में चार पृथक् दृष्टिकोणों का वर्गीकरण किया है, जो निम्नवत् हैं:— (i) जहाँ दोषसिद्धि को यथावत् रखा जाए, किन्तु दण्डादेश को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरस्त कर दिया जाए; (ii) जहाँ दोषसिद्धि को यथावत् रखा जाए, किन्तु दण्ड को संशोधित कर उसे अभियुक्त द्वारा पूर्व में भोगी गई कारावास अवधि तक सीमित कर दिया जाए; (iii) जहाँ दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दोनों को निरस्त कर दिया जाए; तथा (iv) जहाँ दोषसिद्धि को यथावत् रखते हुए, उपयुक्त दण्डादेश पारित किए जाने हेतु प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रेषित कर दिया जाए।

31. उपर्युक्त मानदंडों को वर्तमान प्रकरण पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में अपीलकर्ता की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है, तथापि यह निर्विवाद तथ्य है कि वह दिनांक 07.04.2017 से निरुद्ध है तथा सात वर्ष दो माह से अधिक की कारावास अवधि व्यतीत कर चुकी है। अतः हम इस सुविचारित मत पर पहुँचते हैं कि दोषसिद्धि को प्रभावित किए बिना, अपीलकर्ता, कुमारी जानकी (परिवर्तित नाम), को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत किसी विधि से संघर्षरत बालक के लिए अनुमेय अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से कहीं अधिक कारावास अवधि भोग चुकी है।

32. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा आपराधिक वाद संख्या 51 सन् 2018 (जो कि मुकदमा अपराध संख्या 0118/2017 से उत्पन्न हुआ) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2023 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

33. तदनुसार, वर्तमान अपील उपर्युक्त संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

दिनांक : 05 फरवरी, 2026

हसीन यू.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।